

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग-2
संख्या 44 / XIII-II / 36(5) / 2009
देहरादून: दिनांक: 23 फरवरी, 2010


कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा जलागम विकास योजनाओं के लिए जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 के अनुपालन में जिला जलागम विकास इकाई (DWDU) का पृथक खाता खोले जाने हेतु सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अनुसार पंजीकृत कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय जिला जलागम परियोजना प्रबन्धन इकाई (DWPMU) के प्रशासक मण्डल गठन की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करते हैं।

| क्रम सं० | पदनाम | पता | पद |
|----------|------------|--|------|
| 1 | अध्यक्ष | जिला अधिकारी (जिले का नाम) | पदेन |
| 2 | उपाध्यक्ष | मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना प्रबन्धक डी०डब्ल्यू०डी०यू० (जिले का नाम) | पदेन |
| 3 | सदस्य | प्रभागीय वनाधिकारी (जिला नोडल अधिकारी) (जिले का नाम) | पदेन |
| 4 | सदस्य | जिला पंचायती राज अधिकारी (जिले का नाम) | पदेन |
| 5 | सदस्य | मुख्य कृषि अधिकारी (जिले का नाम) | पदेन |
| 6 | सदस्य सचिव | प्रस्तावित सूची के अनुसार जिला स्तरीय अधिकारी (जिले का नाम) | पदेन |
| 7 | सदस्य | परियोजना निदेशक डी०आर०डी०ए० (जिले का नाम) | पदेन |
| 8 | सदस्य | जिला उद्यान अधिकारी (जिले का नाम) | पदेन |
| 9 | सदस्य | मुख्य पशुचिकित्साधिकारी (जिले का नाम) | पदेन |
| 10 | सदस्य | अधिशाली अभियन्ता (लघु सिंचाई) (जिले का नाम) | पदेन |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव ग्राम्य विकास विभाग भूमि, संसाधन मंत्रालय भारत सरकार।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (वन ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबन्ध परियोजना से सम्बन्धित विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूं मण्डल नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
7. मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।


(एम०एच० खान)
सचिव